

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-10150/2017- 13 23
सेवा में,

पटना, दिनांक :- 5.7.24

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत 1800.00 लाख रुपये (अठारह करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्ष 2024-25 में योजना बजट में 3600.00 लाख रुपये (छत्तीस करोड़ रुपये) मात्र का प्रावधान है। जिसमें 1800.00 लाख रुपये (अठारह करोड़ रुपये) मात्र का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं/मिनी पाइप जलापूर्ति योजनाओं/वार्ड आधारित जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र सहित) पर किया जाना है। इसके लिए जल जीवन मिशन, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उक्त राशि उपलब्ध कराया जाना है।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-अ0पा0-24/2019 (खण्ड)/67, दिनांक-30.03.2020 में निहित अनुरोध के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के राज्यांश मद में केन्द्रांश मद के समानुपातिक उपलब्ध निधि से दिनांक-31.03.2020 को कुल 68274.22299 लाख रुपये (छ: अरब बेरासी करोड़ चौहत्तर लाख बाईस हजार दो सौ निग्यानवे रुपये) मात्र राज्य के समेकित निधि में Book Transfer के माध्यम से जमा की गई थी।
4. दिनांक-31.03.2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम -राज्यांश मद से राज्य के समेकित निधि में वापस ली गई राशि के विरुद्ध विभाग को अभी तक विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 62496.56679 लाख रुपये (छ: अरब चौबीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार छ: सौ उनासी रुपये) मात्र प्राप्त हो चुकी है तथा 5777.65620 लाख रुपये (संतावन करोड़ सतहत्तर लाख पैसठ हजार छ: सौ बीस रुपये) मात्र प्राप्त होना शेष है। इस अवशेष राशि के विरुद्ध यह निकासी की जायेगी।
5. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।
6. उक्त शीर्ष के तहत JJM (NRDWP) अंतर्गत स्वीकृत सभी चालू योजनाएँ तथा आवंटन आदेश संख्या- 280 (आ0), दिनांक- 5.7.24 के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।
7. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537, दिनांक-24-06-2015 एवं पत्र संख्या:-7111, दिनांक:-28.07.2022 में निहित प्रावधानों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर, केन्द्र प्रायोजित योजना, जल जीवन मिशन के SNA (Single Nodal Account). जो कि ICICI Bank, BSFC, Fraser Road, पटना में बचत खाता संख्या-057901002298 (Bihar State Water and Sanitation Mission-JJM), IFSC Code- ICIC0000579 से संचालित है, में अंतरित करेंगे एवं चालान की एक प्रति संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

8. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति-वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

9. इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जावेद 31/1/17

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक - 1323

पटना, दिनांक - 5.7.24

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जावेद 31/1/17

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक - 1323

पटना, दिनांक - 5.7.24

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उपनिदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1)/कार्यपालक अभियन्ता (मो0-11)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /लेखाशाखा को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जावेद 31/1/17

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

5167
बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-10150/2017-

पटना, दिनांक :-

सेवा में,

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत **1800.00 लाख रुपये (अठारह करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।**

आदेश- स्वीकृत।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्ष 2024-25 में योजना बजट में 3600.00 लाख रुपये (छत्तीस करोड़ रुपये) मात्र का प्रावधान है। जिसमें **1800.00 लाख रुपये (अठारह करोड़ रुपये) मात्र** का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं/मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं/वार्ड आधारित जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र सहित) पर किया जाना है। इसके लिए जल जीवन मिशन, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उक्त राशि उपलब्ध कराया जाना है।

3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-अ0पा0-24/2019 (खण्ड)/67, दिनांक-30.03.2020 में निहित अनुरोध के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के राज्यांश मद में केन्द्रांश मद के समानुपातिक उपलब्ध निधि से दिनांक-31.03.2020 को कुल **68274.22299 लाख रुपये (छ: अरब बेरासी करोड़ चौहत्तर लाख बाईस हजार दो सौ निन्यानवे रुपये) मात्र** राज्य के समेकित निधि में Book Transfer के माध्यम से जमा की गई थी।

4. दिनांक-31.03.2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम -राज्यांश मद से राज्य के समेकित निधि में वापस ली गई राशि के विरुद्ध विभाग को अभी तक विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 62496.56679 लाख रुपये (छ: अरब चौबीस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार छ: सौ उनासी रुपये) मात्र प्राप्त हो चुकी है तथा 5777.65620 लाख रुपये (संतावन करोड़ सतहत्तर लाख पैसठ हजार छ: सौ बीस रुपये) मात्र प्राप्त होना शेष है। इस अवशेष राशि के विरुद्ध यह निकासी की जायेगी।

5. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतव्य होगा।

6. उक्त शीर्ष के तहत JJM (NRDWP) अंतर्गत स्वीकृत सभी चालू योजनाएँ तथा आवंटन आदेश संख्या- (आ0), दिनांक- के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537, दिनांक-24-06-2015 एवं पत्र संख्या:-7111, दिनांक:-28.07.2022 में निहित प्रावधानों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि CFMS के माध्यम से निकारी कर, केन्द्र प्रायोजित योजना, जल जीवन मिशन के SNA (Single Nodal Account). जो कि ICICI Bank, BSFC, Fraser Road, पटना में बचत खाता संख्या-057901002298 (Bihar State Water and Sanitation Mission- JJM), IFSC Code- ICIC0000579 से संचालित है, में अंतरित करेंगे एवं चालान की एक प्रति संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

8. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

9. इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जावेद
4/7/14

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक - 1323

पटना, दिनांक - 5.7.24

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जावेद
4/7/14

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक - 1323

पटना, दिनांक - 5.7.24

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
4. प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उपनिदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1)/कार्यपालक अभियन्ता, (मो0-11)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित/लेखाशाखा/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6/कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जावेद
4/7/14

(मो. सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव